कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 270 /FP/UK/ROAD/48385/2020 :देहरादूनः दिनांकः 29 जुलाई, 2021

सेवा में,

सहायक वन महानिरीक्षक (एफ0सी0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः– जनपद पौड़ी गढवाल में कालागढ़ टाईगर रिजर्व प्रभाग के पाखरौ रेंज के पाखरौ क0सं0–3 एवं 8 में टाईगर सफारी की स्थापना हेतु 106.16 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु कार्बेट टाईगर रिजर्व को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–आपका ई0डी0एस0 पत्रांक–8–12/2020–एफ0सी0 दिनांकः–18.02.2021

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर निदेशक/वन संरक्षक, कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर, नैनीताल के पत्रांक 192/13–2 दिनांक 24–07–2021 एवं उप वन संरक्षक, कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैन्सडौन के पत्रांक 1903/12–1 दिनांक 19–02–2021 के द्वारा सन्दर्भित ई0डी0एस0 की अनुपालना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैं, जिसे निम्नानुसार मूल में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

बिन्दु संख्या–1 :– भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 1, 2, 3, 7 एवं 8 की अनुपालन आख्या उप वन संरक्षक कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैन्सडौन द्वारा मूल प्रति में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–1)**

बिन्दु संख्या–2 :– भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या–4(b) के अनुपालन में निदेशक/वन संरक्षक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, नैनीताल द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का वन विभाग के नाम अमल दरामद किया जा चुका है तथा उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 (यथा संशोधित) की धारा–29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन घोषित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है। प्रेषित पत्र की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की सामरिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

भवदीय,

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–270 /FP/UK/ROAD/48385/2020 दिनांकित।

1. **प्रतिलिपि :–** निदेशक/वन संरक्षक, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर, जिला नैनीताल को आपके पत्रांक 192/13–2 दिनांक 24–07–2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. **प्रतिलिपि :–** उप वन संरक्षक, कालागढ़ टाईगर रिजर्व प्रभाग, लैन्सडौन को आपके पत्रांक 1903 /12–1 दिनांक 19–02–2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।